BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 19 फरवरी, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर छेडछाड के आरोपी को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 13 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त गुलवा पुत्र नत्थू सिंह निवासी सूरजपुर टीकरी थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में थाना औरंगाबाद क्षेत्र निवासी एक नाबालिग युवती के घर में घुसकर छेडछाड करना व जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 20.08.2016 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं-310/2016 धारा- 452,354,506 भादवि व 8 पोक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 19.10.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 19.02.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गुलवा को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री धर्मेन्द्र राघव, श्री भरत शर्मा व श्री वरुण कौशिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर